



29

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, पटना-800 001

दूरभाष:-0612-2351919, ई-मेल:-akuniv10@gmail.com

अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक M.11018/26/2016-CDN दिनांक 05.12.2016 के प्रसंग में विश्वविद्यालय को प्राप्त शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का ज्ञापांक 1(स)/स-15-07/2016-82 पटना, दिनांक 14.12.2016 के निदेश के आलोक में वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत विश्वविद्यालय एवं सभी संबद्धता प्राप्त संस्थानों को निम्नवत निदेश दिया जाता है:-

1. विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्धता प्राप्त सभी संस्थानों में प्रत्येक प्राप्ति एवं भुगतान दिनांक 01.02.2017 के प्रभाव से केशलेश किया जाये।
2. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सभी संस्थान Digital Payment System को लागू करने की संपुष्टि पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

कुलपति के आदेशानुसार

ह०/-

कुलसचिव


आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक: 003/Admn/08-03/AKU/2016 - 120

दिनांक:-13.01.2017

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निजी सहायक, प्रतिकुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, केन्द्राध्यक्ष, ए.सी. एन.एन. सभी प्राध्यापक, पदाधिकारी एवं कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्त शाखा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
3. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को संबंधित पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. श्री विशाल रत्न कुमार, वेब प्रोग्रामर इस आदेश को विश्वविद्यालय के website पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रधान सचिव, राजभवन सचिवालय, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


16.01.17

कुलसचिव

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।